कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–प–4(5)पुलिस–फोर्स/प्रति/05/6789 दिनांक 13 अक्टूबर, 05

स्थाई आदेश संख्याः 7/2005

विषयः– प्रतिनियुक्ति संबंधी।

प्रतिनियुक्ति संबंधी इस कार्यालय के परिपत्र संख्या प–4(5)पु. फोर्स/प्रति/1996/5064 दिनांक 2.9.1996 के संदर्भ में पुलिस विभाग के अधिकारियो/कर्मचारियो को विभिन्न विभागो/संगठनो से मांग पत्र प्राप्त होने पर प्रतिनियुक्ति पर भेजने के संदर्भ में निम्नानुसार निती निर्धारित की जाती हैः–

1. राजस्थान सशस्त्र बल (आरएसी) के पुलिस अधिकारियो/कर्मचारियो को केवल विशेष सुरक्षा ग्रुप (एस.पी.जी.) नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एन.एस.जी.) तथा प्रशिक्षण संस्थानो में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जायेंगे।
2. राजस्थान राज्य विशेष शाखा के अधिकारियो/कर्मचारियो को केवल आसूचना ब्यूरो (इन्टेजीजेन्स ब्यूरो), रिसर्च एण्ड ऐनलेसिस शाखा (R&A.W.) विशेष सूरक्षा ग्रुप (एस.पी.जी.) इमिग्रेशन ब्यूरो, आफ सिविल ऐवीएशन सिक्योरिटी (Bureau of Civil Aviation Security) में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जायेंगे।
3. सिविल पुलिस के अधिकारियो/कर्मचारियो को ही केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जायेंगे।
4. समस्त पुलिस के अधिकारियो/कर्मचारियो का विदेश सेवा/संयुक्त राष्ट्र संघ (U.N.O.)में प्रतिनियुक्ति पर तथा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में इन्सेन्टिव स्कीम में भेजे जा सकेंगें।
5. राज्य स्तरीय संगठन यथा–जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम, आबकारी निरोधक दल (E.P.F.), Discomतथा अन्य समान ईकाईयो में दो वर्ष तक की अवधि के लिए ही प्रारम्भिक तौर पर प्रतिनियुक्ति दी जायेगी। तत्पश्चात अतिविशेष मामले में एक वर्ष की अवधि और बढाई जा सकेगी।
6. सीधी भर्ती के उप अधीक्षक पुलिस/उप निरीक्षक पुलिस/कानि.को पॉच वर्ष की सेवा काल के उपरान्त ही प्रतिनियुक्ति पर भेजा जावेगा।
7. पुलिस अधिकारियो/कर्मचारियो जिन्होने एक बार प्रतिनियुक्ति पर सेवा पूर्ण की है उन्हे पॉच वर्ष अवधि समाप्ति से पुर्व पुनः प्रतिनियुक्ति पर नही भेजा जायेगा।
8. पुलिस अधिकारियो/कर्मचारियो जिन्हाने प्रतिनियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र दिये और चयन करने के उपरान्त प्रतिनियुक्ति पर जाने से नाम वापस लिया उन्हे पुनः पॉच वर्ष की अवधि तक प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए निषेध(Debar) समझा जायेगा।

9. प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियो/कर्मचारियो के संदर्भ में उनके नियंत्रक अधिकारी की अनुशंषा प्राप्ति के उपरान्त ही उनके प्रतिनियुक्ति पर विचार किये जायेंगे।
10. किसी भी प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में वांच्छित पदो से अधिक प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर योग्यता एवं वरियता के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

(ए.एस.गिल)
महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर।